52 A

संख्या–18/1/2008–(1)का–2/2008

जे0एस0दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ:दिनांक: 03 फरवरी 2008

विषयः– विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संबंधित चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाना।

महोदय,

अवगत हैं कि सीधी भर्ती के प्रकम पर ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक–एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित होगा :–

(क)–दृष्टिहीनता या कम दृष्टि
(ख)– श्रवण ह्रास
(ग)– चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

2– विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.4.2006 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या18/1/2008– का– 2–2008 दिनांक 03 फरवरी,2008 द्वारा चयन/ पदोन्नति के प्रकम पर विकलांगों के पक्ष में आरक्षण अनुमन्य है।

3– अतः विकलांगों हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से सम्पन्न होने वाले चयनों में विकलांगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को चयन समिति में सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से नामित किया जाय।

4– उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5– कृपया उपरोक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
3/2/08
(जे0एस0दीपक)
प्रमुख सचिव।

संख्या–18/1/2008–का–2/2008तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(बी0एन0दीक्षित)

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 25 सा0 नियुक्ति–22-2-2008–(2465)–1500 प्रतियाँ–(आफसेट)।